



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 02 मई, 2015 / 12 वैशाख, 1937

हिमाचल प्रदेश सरकार

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 30 अप्रैल, 2015

सं0पी0बी0डब्ल्यू0(बी0)एफ(5)197 / 2007.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव जैतक, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में जमटा राजवन सडक के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा-11 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उप धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू-अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग, विन्टर फिल्ड शिमला, (हि0 प्र0) के समक्ष अपनी आपति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा न0	रकवा (बीघा में)
सिरमौर	नाहन	जेतक	245 / 192 / 133 / 94	5-2
			136 / 95 / 15	1-7
			127 / 93 / 1	1-0
			143 / 98 / 20	3-11
			136 / 95 / 1 / 1	0-5
			271 / 142 / 98 / 3 / 1	0-5
			272 / 142 / 98 / 1	0-11
			276 / 142 / 98 / 1	0-2
			273 / 142 / 98 / 1	0-7
			274 / 142 / 98 / 1	0-11
			276 / 142 / 98 / 4	0-2
			186 / 151 / 99 / 1	0-13
			91 / 2	0-13
			226 / 120 / 92 / 1	0-11
			224 / 120 / 92 / 1	0-7
			275 / 142 / 98 / 3 / 1	0-13
			किता: 16	15-19

आदेश द्वारा
हस्ताक्षरित / -
अति0मुख्य सचिव (लोक निर्माण)।

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171009, 29 अप्रैल, 2015

संख्या: 6-28/2014-ई0एल0एन0-925.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या: 429/हि0प्र0/2015 (2), दिनांक 25 मार्च, 2015 तदनुसार 4 चैत्र, 1937 (शक) जोकि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए विशेष सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जन साधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है।

आदेश से,
नरेन्द्र चौहान,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख: 25 मार्च, 215
4 चैत्र, 1937 (शक)

अधिसूचना

सं0: 429/हि0प्र0/2915(2).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 ग की उपधारा (1) के उपबंधों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को, ऐसे अधिकारी के सामने उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट हिमाचल प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कृत्यों का पालन करने में उनकी सहायता के लिए विशेष सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है :—

सारणी

जिले का नाम	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की सं.व नाम	छावनी बोर्ड का नाम	विशेष सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का नाम
1	2	3	4
चम्बा	4. डलहौजी	डलहौजी	नायब तहसीलदार, डलहौजी
	5. भटियात	बकलोक	नायब तहसीलदार, भटियात
कांगड़ा	18. धर्मशाला	योल खास	नायब तहसीलदार, धर्मशाला
	19. पालमपुर	होल्टा	नायब तहसीलदार, पालमपुर
	20. बैजनाथ	अल्हीयाल	नायब तहसीलदार, बैजनाथ

सोलन	54. कसौली (अ.जा.)	कसौली	सीईओ, छावनी, बोर्ड कसौली
		डगशाई	सीईओ, छावनी, बोर्ड डगशाई
		सपाटु	सीईओ, छावनी, बोर्ड सपाटु
शिमला	64. शिमला ग्रामीण	जतोग	नायब तहसीलदार, शिमला (ग्रामीण)

आदेश से,
शंगारा राम,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

Dated: 25th March, 2015
4 Chaitra, 1937 (Saka)

NOTIFICATION

No.429/HP/2015(2):— In exercise of the powers conferred by subsection (1) of Section 13 C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby appoints the officers of the Government of Himachal Pradesh as specified in column (4) of the table given below, as the Special Assistant Electoral Registration Officer to assist the Electoral Registration Officer of the Assembly Constituency in the State of Himachal Pradesh, as specified in Column (2) of the said table against such officer, in the performance of the functions of such Electoral Registration Officer:—

TABLE

Name of District	No. & Name of AC	Name of Cantonment Board	Name of Special Assistant Electoral Registration Officer
1	2	3	4
Chamba	4-Dalhousie	Dalhousie	Naib Tehsildar, Dalhousie
	5- Bhatiyat	Bakloh	Naib Tehsildar, Bhatiyat
Kangra	18-Dharamshala	Yol Khas	Naib Tehsildar, Dharamshala
	19-Palampur	Holta	Naib Tehsildar, Palampur
	20-Baijnath	Alhial	Naib Tehsildar, Baijnath

Solan	54- Kasauli (SC)	Kasauli	CEO, Cantt, Board Kasuli
		Dagshai	CEO, Cantt, Board Dagshai
		Subathu	CEO, Cantt, Board Subathu
Shimla	64-Shimla Rural	Jutogh	Naib Tehsildar, Shimla (Rural)

By order,
SHANGARA RAM,
Principal Secretary,
Election Commission of India.

DEPARTMENT OF HOME-E SECTION
H.P. SECRETARIAT, SHIMLA-171 002

NOTIFICATION

Shimla-2, the 30th April, 2015

No. Home-E (A)-6-5/2013-Vol-III.—In continuation of this department notification of even number dated 03-12-2014, wherein a decision has been taken for weeding out the criminal cases as per the guidelines framed by this department, the Hon'ble Chief Justice has been pleased to extend the date/period for the purpose of classifying a criminal case as Stale and Ineffective from 31st December, 2008 to 31st December, 2009 and for the purpose of collection of Information as per Proforma-"A" from 31-03-2014 to 31-03-2015 in terms of Sr. No. 4 and 7 (2) of the said guidelines.

Therefore, the Governor, Himachal Pradesh on the recommendation of the Hon'ble High Court of H.P. is pleased to notify the above dates/period for the aforesaid stated purpose.

By order,
MANEESH GARG,
Secretary (Home).

ब अदालत श्री दिलो राम भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सलूणी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, गांव मौडा, परगना जून्ड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि० प्र०)
सायल।

बनाम

आम जनता व रिश्तेदार

फरीकदोयम।

विषय.—प्रार्थना—पत्र नाम दुरुस्ती जेर धारा 36, 37 हि० प्र० भू० राजस्व अधिनियम, 1954 के तहत कागजात राजस्व रिकॉर्ड व ग्राम पंचायत में सही व दुरुस्त करने बारा।

उपरोक्त उनवान मुकद्दमा श्री रमेश कुमार पुत्र श्री जीत सिंह, गांव मौडा, परगना जून्ड, तहसील सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र गुजारा है। जिसमें रमेश कुमार ने व्यक्त किया है कि मेरे नाम के साथ ग्राम पंचायत मौडा के पंचायत रिकॉर्ड में पिता की वल्दीयत जीत सिंह दर्ज है जो कि सही व दुरुस्त दर्ज है परन्तु सायल के नाम के साथ भू-राजस्व के इन्द्राज व हि0 प्र0 स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला से जारी दसवीं व आठवीं के प्रमाण-पत्रों में पिता की वल्दीयत जीतू दर्ज है जो कि गलत दर्ज है तथा ग्राम पंचायत रिकॉर्ड, भू-राजस्व रिकॉर्ड व पाठशाला त्याग प्रमाण-पत्रों में अलग-अलग नाम होने के कारण विभिन्न प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा अन्य कार्यों को करवाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा सायल अपने नाम के साथ पिता की वल्दीयत ग्राम पंचायत मौडा के पंचायत रिकॉर्ड में पिता की वल्दीयत के आधार पर भू-राजस्व के इन्द्राज व पाठशाला त्याग प्रमाण-पत्रों में जीतू के बजाय जीतू उर्फ जीत सिंह सही व दुरुस्त करवाना चाहता है। जिसे दुरुस्त किये जाने बारे सायल ने नकल परिवार रजिस्टर, ग्राम पंचायत मौडा, नकल जमाबन्दी महाल मौडा, पाठशाला प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, तलबाना व ब्यान-हल्फी तहरीर करवाया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त नाम की दुरुस्ती महाल मौडा के राजस्व कागजात माल में पिता की वल्दीयत जीतू उर्फ जीत सिंह सही व दुरुस्त किये जाने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 28-5-2015 को या इससे पहले प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में इस अदालत में पेश करे अन्यथा अदम पैरवी एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 27-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

दिलो राम भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सलूणी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री ऋषि कुमार सुपुत्र श्री बैसू राम, निवासी गांव धरोटा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)
... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

... प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे हैं कि उसका सही नाम ऋषि कुमार है, जोकि ग्राम पंचायत रुलियानी, प्रार्थी के आधार कार्ड, आदि में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के महाल धरोटा, रुलियानी तथा डगोह में रिशू दर्ज है जो गलत दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जाये।

अतः इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री शिव कुमार सपुत्र श्री जगदीश चंद, निवासी गांव व डाकघर मेल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अक्षय शर्मा की जन्म तिथि 16-1-1995 है, जोकि ग्राम पंचायत मेल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि ग्राम पंचायत मेल के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अजीत सिंह सपुत्र श्री रोशन लाल, निवासी गांव गुनियाला, डाकघर बाथरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री आकांक्षा की जन्म तिथि 7-7-2010 है, जोकि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ओसल के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अजय कुमार सपुत्र श्री बलदेव सिंह, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 27-1-1990 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री सोनू कुमार सपुत्र श्री मदन लाल, निवासी गांव धूडासप्पड, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 10-6-1990 है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत जियुन्ता के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 7-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री लक्की सपुत्र श्री इन्द्र सिंह, निवासी गांव व डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 16-2-1997 है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री पलविन्दर कुमार सपुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव व डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके भतीजे अभिषेक इन्दोरिया की जन्म तिथि 25-11-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भतीजे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री पलविन्दर कुमार सपुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव डाकघर सुदली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके भतीजे अनमोल इन्दोरिया की जन्म तिथि 26-12-1995 है, जोकि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के भतीजे की जन्म तिथि ग्राम पंचायत सुदली के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/ एतराज हो तो वह असातन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री चैन लाल सुपुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव लाहणी, डाकघर गोली, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारे है कि उसका सही नाम चैन लाल व उसके पिता का सही नाम जगत राम है, जोकि ग्राम पंचायत मनोला, प्रार्थी के पैन कार्ड, वोटर कार्ड आदि में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के महाल मन्धयार में क्रमशः चैनो व जगतो दर्ज है जो गलत दर्ज है, जिनकी दुरुस्ती की जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री संजय कपूर सपुत्र श्री हरीश कपूर, निवासी होटल मेघा व्यू डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अखिल कपूर व पुत्री राशी कपूर की जन्म तिथियां क्रमशः 18-7-1993 व 23-7-1999 हैं, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न हैं। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के बच्चों की जन्म तिथियां नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 25-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 13-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री नन्द लाल सपुत्र श्री मीना राज, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 8-11-1991 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज

करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री गान्धो राम सुपुत्र श्री चमारु राम, निवासी गांव छनूं, डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम गान्धो राम है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार में सही दर्ज है, लेकिन राजस्व विभाग के महाल छनूं, पटवार वृत्त नगाली में गान्धो दर्ज है जो गलत दर्ज है, जिनकी दुरुस्ती की जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रवि कुमार सपुत्र श्री मीना राज, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 16-9-1989 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री दीप लाल सपुत्र श्री मीना राज, निवासी गांव समलेऊ, डाकघर खैरी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 30-4-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत समलेऊ के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री हंस राज सुपुत्र श्री चतरो राम, निवासी गांव ढूंडयारा, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारा।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम हंस राज है, जोकि ग्राम पंचायत जियुन्ता में सही दर्ज है, लेकिन

राजस्व विभाग के महाल ढूँडयारा, पटवार वृत्त जियुन्ता में हंसो राज है जो गलत दर्ज है, जिनकी दुरुस्ती की जाये।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हि0 प्र0 सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री Jangchup Nyendak सपुत्र श्री Thupten निवासी राज भवन कोठी सदर बाजार डलहौजी, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 6-7-1973 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 22-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अनिल भारद्वाज, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती उषा पत्नी श्री रत्न सिंह निवासी वार्ड नं0-2, लोहाली, डाकघर व तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र, ब्यान—हल्फी बमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पौत्र काव्यांश की जन्म तिथि 24-5-2012 है, जोकि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पौत्र की जन्म तिथि नगर परिषद् डलहौजी के रिकॉर्ड में दर्ज करने पर यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 30-5-2015 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवम् सब-रजिस्ट्रार, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री गगन पुत्र श्री जय सिंह उपनाम जगरूप सिंह, निवासी गांव सदूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 40/41 के अर्न्तगत पंजीकरण वसीयतनाम बारे।

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्री गगन पुत्र श्री जय सिंह उपनाम जगरूप सिंह, निवासी गांव सदूं, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसकी माता स्व० श्रीमती कौशल्या देवी धर्मपत्नी स्व० श्री जय सिंह उपनाम जगरूप सिंह ने गगन के पक्ष में चल-अचल सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 17-7-2010 को कर रखी है। जिसे वह पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 12-5-2015 को प्रातः 10.00 बजे पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जाएगा जथा वसीयत पंजीकरण के आदेश कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-2-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवम् सब-रजिस्ट्रार,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

1. श्री करतार सिंह, 2. श्री तिलक राज पुत्रान जैसी राम पुत्र जौहली, निवासी गांव झुलाड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) वादीगण।

बनाम

1. श्री उत्तम चन्द, 2. केसर सिंह, 3. ओम प्रकाश, 4. महिन्द्र सिंह पुत्रान सन्त राम पुत्र रीझू, 5. पुष्पा देवी, 6. ललिता देवी पुत्रियां व श्रीमती खिनो देवी पत्नी स्व० श्री सन्त राम, 8. अमित कुमार पुत्र 9. विजय कुमार पुत्र, 10. श्रीमती वेवी पुत्री, 11. शरिष्ठा देवी पत्नी स्व० श्री रमेश चन्द निवासीगण झुलाड, तह० शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

तकसीम भूमि हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1954 जेर धारा 123 के अन्तर्गत बावत भूमि खाता नं० 121, खतौनी नम्बर 151, खसरा नं० 512, कित्ता 1 रकबा तादादी 0-02-24 है० वाक्या महाल व मौजा झुलाड, तह० शाहपुर मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2007-08.

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण नं० 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किये गये परन्तु हर बार उनके समन बिना तामिल के प्राप्त हुए इसलिए अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। न ही वादीगण उनका सही पता पेश करने में समर्थ है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण नं० 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-5-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-2-2015 को मेर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

1. श्री करतार सिंह, 2. श्री तिलक राज पुत्रान जैसी राम पुत्र जौहली, निवासी गांव झुलाड, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) वादीगण।

बनाम

1. श्री महिन्द्र सिंह, 2. चुनी लाल, 3. सुभाष चन्द पुत्रान सुखियां पुत्र टैहकू, 4. राज कुमार, 5. दलेर सिंह पुत्रान, 6. शरिष्ठा देवी, 7. सरोज देवी पुत्रियां, 8. श्रीमती वन्तो देवी पत्नी स्व० श्री चतर सिंह पुत्र सुखियां, 9. केहर सिंह पुत्र परमा, निवासीगण झुलाड, तह० शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि० प्र०) प्रतिवादीगण।

तकसीम भूमि हि० प्र० भू-राजस्व अधिनियम 1954 जेर धारा 123 के अन्तर्गत बावत भूमि खाता नं० 120, खतौनी नम्बर 150, खसरा नं० 507, कित्ता 1, रकबा तादादी 0-11-98 है० वाक्या महाल व मौजा झुलाड, तह० शाहपुर मुताबिक जमाबन्दी वर्ष 2007-08 बारे।

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित तकसीम भूमि की मिसल अधोहस्ताक्षरी के पास विचाराधीन है। जिसमें प्रतिवादीगण नं० 1, 2, 4, 5, 8 को इस अदालत द्वारा बार-बार समन जारी किये गये परन्तु हर बार उनके समन बिना तामिल के प्राप्त हुए इसलिए अदालत हजा को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रतिवादीगणों की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है। न ही वादीगण उनका सही पता पेश करने में समर्थ है। अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगण नं० 1, 2, 4, 5, 8 को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में दिनांक 12-5-2015 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना पक्ष व एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न होने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 28-2-2015 को मेर हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

**In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural), District Shimla,
Himachal Pradesh**

Smt. Monika Devi w/o Shri Inder Singh, r/o Village Chanan, P.O. Jathya Devi, Tehsil & District Shimla (H. P.).

Versus

General public

.. Respondents.

Smt. Monika Devi w/o Shri Inder Singh, r/o Village Chanan, P.O. Jathya Devi, Tehsil & District Shimla (H. P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of birth of the named Mr. Gagan Deep s/o Shri Inder Singh, r/o Village Chanan, P.O. Jathya Devi, Tehsil & District Shimla (H. P.), in the record of Birth and Death in the office of Secy.-cum-Registrar of Birth GP Bagi, as per recommendation from CMO Shimla vide No. HFW-SML-B&D/ST/12/502, dated 17-3-2015. As following.

Sl. No.	Name	Relation	Date of Birth
1.	Mr. Gagan Deep	s/o Inder Singh	2-10-2010

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding of the date of birth of above in the record of GP Bagi file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 1-5-2015 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

**In the Court of Shri G. C. Negi, H.A.S., Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Urban)
District Shimla, Himachal Pradesh**

Shri Prashant Thakur s/o Shri Chander Pal, r/o Chet Villa, Tuttikandi Shimla, Himachal Pradesh

.. Applicant.

Versus

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas Shri Prashant Thakur s/o Shri Chander Pal, r/o Chet Villa, Tuttikandi Shimla, Himachal Pradesh has preferred an application to the undersigned for the registration of date of death of his grandmother, namely—**Smt. Savitri Devi**—date of death—**2-5-2013** in the record of Municipal Corporation, District Shimla (H.P.).

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for the entry as to date of death mentioned above, may submit his/her objection in writing in this court from one month from the publication of this proclamation failing which no objection will be entertained after expiry of date and will be decided accordingly.

Given under my hand and seal of the court on this **28th** day of **April, 2015**.

Seal.

G. C. NEGI,
*Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (Urban), District Shimla, Himachal Pradesh.*

**In the Court of Shri M. R. Bhardwaj (H.A.S.), Sub-Divisional Magistrate, Theog,
District Shimla, H. P.**

Shri Kapil s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Lambidhar Jaya, P.O. Balag, Tehsil Theog,
District Shimla (H. P.) . . Applicant.

Versus

The General Public

. . Respondent.

Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Kapil s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village Lambidhar Jaya, P.O. Balag, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.) has moved an application before the undersigned for the registration of his daughter namely Niyati whose date of birth is 21-2-2012 in the record of Gram Panchayat Balag, Tehsil Theog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned names, may submit objections in writing in this court on or before 25-5-2015 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 23-4-2015.

Seal.

M. R. BHARDWAJ,
*Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla, Himachal Pradesh.*

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12/2015

तारीख रजुआ : 6-2-2015

किस्म मुकद्दमा : इन्द्राज विवाह पंजीकरण

श्री हेम राज पुत्र श्री दिवान चन्द व श्रीमती सुनिता रानी पत्नी श्री हेम राज, निवासी वार्ड नं0 05, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता : बजरिया नगर परिषद् बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0) प्रतिवादी।

दावा अन्तर्गत जेर धारा 8(4) विवाह पंजीकरण अधिनियम, 1996 श्री हेम राज पुत्र श्री दिवान चन्द व श्रीमती सुनिता रानी पत्नी श्री हेम राज, निवासी वार्ड नं0 05, बद्दी, तहसील बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

इश्तहार बनाम आम जनता।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र दिया है कि उसकी शादी दिनांक 28-9-2014 को श्रीमती सुनिता रानी पुत्री स्व0 श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम जैन्तीमाजरी, तहसील खरड, जिला मोहाली (पंजाब) के साथ हिन्दू धर्म व रीति-रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी जिसका नगर परिषद् बद्दी के रिकॉर्ड में शादी का इन्द्राज नहीं करवा सके थे जिसका अब वह इन्द्राज करवाना चाहते हैं। अतः हर आम जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि श्री हेम राज पुत्र श्री दिवान चन्द, निवासी वार्ड नं0 05, बद्दी व श्रीमती सुनिता रानी पुत्री श्री मोहन लाल, निवासी ग्राम जैन्तीमाजरी, तहसील खरड, जिला मोहाली (पंजाब) की शादी का इन्द्राज नगर परिषद् बद्दी में दर्ज होने बारे अगर किसी को कोई एतराज है तो वह दिनांक 8-5-2015 को इस न्यायालय में उपस्थित आकर एतराज प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा दिनांक 8-5-2015 को उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत किये गये ब्यान हल्फियान के आधार पर उक्त शादी के पंजीकरण हेतु आगामी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 7-4-2015 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बद्दी, जिला सोलन (हि0 प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Vijesh Rattan Sharma, r/o Parwati Bhawan, Totu, Tehsil & District Shimla, H. P. declare that my wife's name in school record of my son has wrongly been entered as Madhu Sharma instead of Meera Sharma, the correct name may be entered in school records as Meera Sharma.

VIJESH RATTAN SHARMA
r/o Parwati Bhawan, Totu,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

